



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर

492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165

वेबसाइट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

क्रमांक / पंजी.निरस्ती. / 2026 / 140

रायपुर, दिनांक 17/02/2026

—:: पंजीयन पुनः प्रविष्टिकरण हेतु सूचना ::—

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर के सूचना क्रमांक/पंजी.निरस्ती./2026/69 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा पंजीयन नवीनीकरण नहीं करवाने वाले आयुर्वेद/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायियों पंजीयन एतद् द्वारा निरस्त किया गया है। पंजीयन निरस्तीकृत चिकित्सकों को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 की धारा 29(3) के तहत पंजीयन निरस्त किए गए चिकित्सकों का नाम पुनः राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने का प्रावधान है।

अतएव उपरोक्तानुसार ऐसे आयुर्वेद/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी जिनका पंजीयन निरस्त किया गया है यदि वे छत्तीसगढ़ राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करना चाहते हैं तो ऐसे चिकित्सक अपने पंजीयन का पुनः प्रविष्टिकरण करा सकते हैं। इस हेतु आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क की जानकारी संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति
एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर

492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165

वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

—:: पंजीयन पुनः प्रविष्टिकरण के लिए आवेदन ::—

प्रति,

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो चस्पा
करें।

निवेदन है कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर के राज्य रजिस्टर में मेरा नाम पूर्व में दर्ज था। छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 की धारा 21 एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विनियम 2023 (आचार एवं पंजीयन) के तहत मेरे द्वारा पंजीयन पुनरीक्षण सह नवीनीकरण नहीं कराए जाने के कारण मेरे नाम की प्रविष्टि राज्य रजिस्टर से हटाते हुए मेरा पंजीयन निरस्त हो चुका है। मैं छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 के धारा 29(3) के तहत राज्य रजिस्टर में अपना नाम पुनः प्रविष्टि कराना चाहता/चाहती हूँ।

अतएव राज्य रजिस्टर में नाम पुनः प्रविष्टि हेतु आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है :-

01. नाम (हिन्दी में) _____
(अंग्रेजी Block Letter में) _____
02. पिता का नाम (हिन्दी में) _____
(अंग्रेजी Block Letter में) _____
03. जन्मतिथि (अंग्रेजी कैलेण्डर अनुसार) दिनांक----- माह----- वर्ष-----
04. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक क्रमांक----- दिनांक-----
05. वर्तमान चिकित्सा व्यवसाय का पता _____
(यदि शासकीय सेवा में हैं _____
तो पदस्थापना स्थल का पता) _____
(अंग्रेजी Block Letter में) _____

06. वर्तमान निवास स्थान का पता _____
जिस पर पत्राचार किया जा सके _____
(अंग्रेजी Block Letter में) _____

07. मोबाईल नंबर _____
08. आधार नंबर _____
09. ई-मेल _____
10. रक्त समूह _____
11. अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करने _____
का वर्ष एवं विश्वविद्यालय का नाम _____
12. क्या आप किसी आपराधिक या वृत्तिक कदाचरण के मामले में _____
किसी न्यायालय अथवा राज्य परिषद् _____
से दण्डित हुए हैं? - हॉ/नहीं (√ लगाएं)
यदि हॉ तब :-
- प्रकरण क्रमांक _____
 - दण्ड की प्रकृति _____
 - न्यायालय/राज्य परिषद् का नाम _____
13. पुनः प्रविष्टि हेतु शुल्क - 13,500/- (अक्षरी तेरह हजार पांच सौ)
(नगद शुल्क की रसीद अथवा डिमांड ड्रॉफ्ट)
- डिमांड ड्रॉफ्ट नंबर _____
 - बैंक का नाम एवं शाखा _____

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रदान की गयी उपरोक्त समस्त जानकारियां एवं संलग्न दस्तावेज सत्य एवं प्रमाणित है।

स्थान - _____

दिनांक - _____

हस्ताक्षर

आवेदक/आवेदिका का नाम

वचन-पत्र

मैं _____ पुत्र/पुत्री

निवासी _____

आयु _____

निम्नलिखित वचन पत्र रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ :-

01. यह कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, अधिनियम 1970 के उपबंधों के अधीन छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् में मेरा नाम प्रविष्ट किया गया था तथा मुझे रजिस्ट्रीकरण क्रमांक _____ जारी किया गया था। पंजीयन पुनरीक्षण सह नवीनीकरण नहीं कराने के कारण मेरा नाम राज्य रजिस्टर से पृथक कर दिया गया है। मैं अपना नाम राज्य रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट कराना चाहता/चाहती हूँ। इस हेतु आवेदन पत्र तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर रहा/रही हूँ।
02. यह कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, द्वारा मुझे आयुर्वेद/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु बिन्दु 01 में उल्लेखित अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
03. यह कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर में रजिस्टर में मेरा नाम चालू रखने हेतु प्रस्तुत इस आवेदन पत्र दिनांक तक मेरे चिकित्सा व्यवसाय के संबंध में किसी भी न्यायालय, थाना, जॉच एजेंसी अथवा राज्य परिषद् आदि में कोई भी प्रकरण विचाराधीन/लंबित नहीं है।
04. यह कि मुझे किसी भी न्यायालय अथवा राज्य परिषद् द्वारा मुझे, मेरे द्वारा किए गए/किए जा रहे चिकित्सा व्यवसाय अथवा अन्य किसी भी प्रकरण के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता अथवा अन्य विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं ठहराया गया है।
05. यह कि मेरे द्वारा यह वचन पत्र छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर में मेरा नाम उक्त रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

वचन पत्र की कण्डिका 01 से 05 में वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं प्रमाणित है।

वचनग्रहिता का नाम एवं हस्ताक्षर



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर
कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर
492010 (छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165
वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

—:: पंजीयन पुनः प्रविष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क विवरण ::—

आवश्यक दस्तावेज :-

01. आवेदन पत्र
02. पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति,
03. आधार कार्ड का स्वप्रमाणित छायाप्रति,
04. नवीनतम 02 पासपोर्ट साईज फोटो,
05. वचन पत्र,
06. डिमांड ड्रॉफ्ट "**CG AYUR, UNANI PRAKRI, CHIKITSA**" के नाम से स्वीकार किए जाएंगे।

अथवा

नगद शुल्क की रसीद

पंजीयन पुनः प्रविष्टिकरण शुल्क :-

13,500 /—

(अक्षरी तेरह हजार पाँच सौ रूपये)

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति
एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर (छ.ग.)